

सेवा के,
अचल अधिकारी
चौकसिया

विषय: - सीमांकन वाद सं. - 67/2023-24 के आवेदन
शैलेंद्र शर्मा के सीमांकन आवेदन के प्रतिपक्ष।

महशय,

आदेशानुसार, उपरोक्त विषयक संबंधित मौजा -
पिपरापाड़ा ग्रामा नं- 321, खाला नं- 179, खेसरा नं- 325,
उत्तर/अधे शकवा - 0.06 ए. तथा 0.03 ए. भूमी का सीमांकन
आवेदन पर अचल कार्यालय सीमांकन वाद संख्या 67/23-24
के आदेश के विधायित्व तिथि दिनांक 31/01/2024 के आवेदन
स्थल पर्यवेक्षण आवेदन, चौकसिया तथा त्राभिणा से गैर
किया तथा आवेदन से आवेदन भूमि का कागजात मौजा
ग्रामा उच्छाने दलित तथा नामान्तरण शुद्धि पर दिखाया सिस्म
दुलित नं- 868 दिनांक - 18.06.2013 दर्ज है जिसमें
खेसरा नं- 325 शकवा - 0.06 ए. तथा 326 - शकवा - 0.03 ए.
दर्ज है। आवेदन द्वारा बताया गया आवेदन में गलती
से 371 का आवेदन किया है जिसमें आवेदन के खाला
नं- 129 का हानि प्लॉट दर्ज है परन्तु नॉटिस के
केवल 371 दर्ज है। उक्त कागजात अवलम्बित अधिनियम
हाल से 1960-61 ई. की फाइनल नक्शा की धार्या प्रति
नक्शा के लाभ सार पंजीन मिलान काल दुय तथा दलित
में वणीत चौकसिया अनुसार खेसरा नं- 325, 326 का
सीमांकन किया गया। खेसरा नं- 325 का 0.06 ए. में
से 0.03 ए. आवेदन के दुरुपल के है वही अधे त्रिकरना
के दुरुपल के है। आवेदन के दुरुपल के खेसरा नं- 325, 326 का
पुवीय के है। सीमांकन शक्ति पूर्ण समाप्त हुआ। सीमांकन
अवधि के किसी के द्वारा किसी प्रकार काबा या आपत्ति नहीं
किया। खेसरा नं- 325 का परिचयांग में शर्मा शर्मा द्वारा
पठार कागजात से मांगा किया बताया गया वही

H.A.
e. Court
प्रविष्टि
इसके
12/02/24

हमलक्ष्मी आपसु में शपथ की कट लेंगे। श्राद्धियों साजन पलाया
जिसके ने कवेदक भाग नाए। इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रति
केस नससा तथा लीनोकन डिपथन्त लिया गया पंचनामा इस
प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया।
यह प्रतिवेदन कार्यालय का सादर समर्पित।

आपका विश्वासभाजन

अचल उमीन

चाकुलिया

वामिदु महरा

२२/२५